



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 807907



श्रीति देव सैरियल फाउण्डेशन

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 01.09.2018 को श्रीमती शीता यादव पत्नी श्री सुब्रस तिह यादव स्थायी पता- मुडुल्ला इमिलिया, पो-मरुनाथ भंजन, तह-रादर, जनपद-मऊ द्वारा घोषित किया गया है जिन्हें आगे न्यासकर्ता/ संस्थापक कहा जायेगा। न्यासकर्ता संस्थापक के पास ₹015000/- पन्द्रह हजार रुपये की राशि है। जिससे कि पुरुषार्थ एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्था हित, जनहित एवं समाजहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जैसे प्राविधिक, उच्च विद्वित्सा, व्यवसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा। जिसका आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जायेगा। ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी(अध्यक्ष) होगा। जिसे कि आगे ट्रस्ट का ट्रस्टी (अध्यक्ष) कहा जायेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक की यह भी इच्छा है कि इससे विभिन्न क्षेत्रों से दान उपहार ऋण आदि भी सम्मिलित किया जाय। जिसके द्वारा ट्रस्ट

शीता यादव



कमरे 2555 कीमत 100/- मील गानक W/O सुबासु सिंह चाद,
सा. इमिलिया, जे. ए. ए. मंडल, मंडल

Handwritten signature
21-09-10
राजेश कुमार (स्टाफ विज्ञानी)
सा. 255-100, सा. 255-100, मंडल



मिडि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 807908

के कोष संपदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से काम चलकर सफल हो सके। न्यायाकर्ता / संस्थापक अपनी इच्छा के अनुकूल रु० 15000/- मन्दाह हजार रुपये की नगद धनराशि ट्रस्ट को प्रदान की है। वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय मुहल्ला इमिलिया, पो०-मऊनाथ मंजन, तह०-सदर, जनपद-मऊ रहेगा एवं अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है। न्यायकर्ता / ट्रस्टी (अध्यक्ष) / मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार द्वारा बद्ध घोषित किया जाता है।

चन्द्रदेव मेमोरियल फाउण्डेशन मुहल्ला इमिलिया, पो०-मऊनाथ मंजन,

तह०-सदर, जनपद-मऊ (हिण्डिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली-

ट्रस्ट के उद्देश्य :- ट्रस्ट निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

- ! 1. बिना लिंग भेद किये हुए सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल,
- ! इण्टरमीडिएट, महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शिवा संकाय, पुस्तकालय, वाचनालय,
- ! प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, चूड़ाशुभों, अनुसंधान केंद्र, छात्रावास

रीता पाटूब



क्रमांक 2556 अक्ष 1001 - अ. अ. 25.55

4 01.09.18
श्री. प्रसाद लाल (रामा मिश्रा)
सा. अ. 100, वासील-उदर, मऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 807909

कम्प्यूटर केंद्रों, निश्रितां सागुदायिक विकास केंद्रों, सर्वेक्षण केंद्रों, पर्यावरण, एड्स जागरूकता उत्थान केंद्रों की स्थापना, नागरिक विकास सम्बद्ध आबद्ध प्रयत्न संचालित आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थानों, शारान आदि से उन्हे साम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत अनुमोदित स्वीकृत करना । बी०टी०सी० एवं टी०एड० शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ।

2. ग्राम विकास एवं शिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना ।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नदी का संरक्षण करना ।
5. उद्यानीकरण एवं जंगल आदि का विकास करना ।
6. महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विधिक कार्यक्रम संचालित करना ।
7. प्रतियोगात्मक परिक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।
8. कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।
9. किसी भी सामान (तरल एवं ठोस) की खरीद एवं बिक्री करना ।

रीता पांडव 

क्रमांक 2557 व/मम 1001. अ. नं. 2555

1/10/10 01.09.10
ज्येष्ठ शिवाजी राव (ज्येष्ठ शिवाजी)
साठ-100, गारगीत-भवन, मुंबई



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337543

10. पत्थर के खान का कार्य कराकर भूमि को उपजाऊ योग्य बनाना ।
11. ट्रस्ट के माध्यम से जीवन बीमा एम सामान्य बीमा का कार्य कराकर भारत सरकार का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना एवं लोगों को बीमा से लाभान्वित करना ।
12. उपहार के वस्तुओं को निर्माण एवं विक्रय कार्य कराना ।
13. कबाड़ की सामानों को इकट्ठा करके फर्निश गिट्टियाँ का निर्माण करके उसका मलाकर वातावरण को दूषित होने से बचाना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, ट्रस्ट का सर्वोत्तम कार्य होगा । जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य है ।
14. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कर्पाट, सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण, सलाहकार्य बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद, युवा कल्याण मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यों को संचालित कराना ।
15. आई टीआई पालिटैक्निक, इंजीनियरिंग, प्रबन्धन फार्मसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेटर, टेक्नशियन, लैब टेक्नशियन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल फालेजों की स्थापना एवं संचालन करना ।

रिता प्रसू



क्रमांक 2558 अथवा 201-अ.नं. 2555

01-09-18
श्री प्रकाश राय शिवाय विवेकी
कॉलोनी-100, कान्हाजी-सहर, मऊ

जगाह-अ.ज
TR-1 अ.ज
1- AUG 2018
5-70
मऊ



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये
रु.20



Rs.20
TWENTY
RUPEES


INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337544

16. समाज के लोगों के लिए हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फर्म आदि की व्यवस्था करना ।
17. पुस्तकालय वाचनालय पत्र पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।
18. अंधे, रूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन की व्यवस्था करना, जल संरक्षण, विद्यालय संचालित करना व उनके पुनर्वास के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना ।
19. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, बागिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीडा, मार्सेल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान कराने का प्रबन्ध कराना ।
20. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना ।
21. साहित्यिक पुस्तकों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, संपादन प्रकाशन मुद्रण एवं वितरण कार्य करना ।

रीता ग्राहव



2559 वीस 201- १००.०० (2555)

01.09.18

सर्वोच्च न्यायालय (सलामा विकेला)
प्लॉट-100, चंद्रशेखर-राय, मुंबई



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337545

22. सांस्कृतिक पर्यावरण, एड्स, अधिवेशन गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताओं, बैठकों विशेष कक्षाएँ, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित करना ।

23. मण्डार गृहों का निर्माण कर अनाजों, फलों का मण्डारण कराना तथा उनका क्रय विक्रय कराना ।

24. शीतगृहों का निर्माण कर किसानों के फल, सब्जी, आलू, प्याज की सुरक्षा प्रदान करना ।


25. किसानों को खसरा, खतौनी इण्टरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ।

26. बैंकिंग का कार्य कराना, लोगों का पैसा जमा कराकर उनको अच्छा रिटर्न देना, उनके पैसे की सुरक्षा प्रदान करना, समय समय पर गृह ऋण, मोटर गाड़ी हेतु ऋण एवं राजगार करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना ।

27. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्त्रीन, प्रिन्टिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण- प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कराना ।

28. अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेज, आई0टी0आई0 कालेजों को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर

रीता माह्व



क्रमांक 2560 अतिरिक्त 20/- रकम में (2555)

01.09.18
राजेश प्रसाद बघ (स्वामि विद्यालय)
काठमांडू-२००, बाइपास-साथ, मकान



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337546

संचालित करना एवं अन्य ट्रस्ट जो कार्य करने में सक्षम न हों उनको अपने ट्रस्ट में समावृजित कर संचालित करना ।

29. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना ।

30. विधि, सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना ।

31. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार करना ।

32. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना, पर्यावरण सुधार के लिए जानकारी देना एवं जल बचाव से सम्बन्धित सेमिनार करना ।

33. एड्स के बारे में जनजागरण हेतु प्रचार प्रसार करना ।

34. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/गुल्ब निर्धारण कर प्राप्त करना ।

35. पत्राचार द्वारा अध्ययन, अध्यापन को प्रोत्साहित करना तथा तत्सावधिक आवश्यक व्ययस्थाओं को करना ।

36. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, उत्तर सुधार जैसे सामाजिक व्यक्तियों के विषयों पर जनचेतना जागृत करने हेतु कार्य करना ।

रिता पांडव

क्रमांक 2561 काठमाडौं नं. २००५-७५५५

५५५५ ०५-०९-१०
संस्थापक, नयाँ (द्वारा विक्रित)
सं. नं. ०-१००, काठमाडौं-१, नेपाल






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337547

- 37. डाक्टर, इंजीनियर, कारपेन्टर, फिटर, वेंडर, मजदूर को प्रशिक्षण प्रदान करके उनको विदेश जाने के लिए कार्य कराना, जिससे उनको रोजगार मिल सके एवं देश का विकास हो सके ।
- 38. कुटीर लघु उद्योगों के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगों को रोजगार देना जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके ।
- 39. किसानों को उन्नतशील बीजों, कीटनाशक दवाओं तथा नये नये औजारों को सस्से दरों में उपलब्ध कराना ।
- 40. समय-समय पर किसान संगोष्ठी का आयोजन कर उनको जागरूक करना ।
- 41. किसानों को रसायनिक खादों (डाई, यूरिया, पोटाश, जिंक, फास्फेट, कार्बनिक खाद, कम्पोस्ट खाद) इत्यादि को समय समय पर उपलब्ध कराकर उनको लाभान्वित कराना ।
- 42. धार्मिक स्थलों का निर्माण एवं जिर्णोद्धार कराना ।
- 43. कृषि कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन करना ।
- 44. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार, सहायता, वित्तीय सहायता, स्मृतिचिह्न आदि प्रदान कराना ।

रीता पांडव 

क्र.सं. 2562 अना 201-ATT-अं (2555)

दिनांक 01-09-18
उपनि. प्रो. (सि. वि. वि.)
सा.सं. 100, काशी-222, म.सं.

काशी-222
TR-1
1. 09. 2018



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337548

45. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उनका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।
46. ट्रस्ट जन सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथासम्भव अपने उत्पादित वस्तुएं जागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा, चालाखों का निर्माण कर मछली पालन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन आदि प्रचार प्रसार करेगा ।
47. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जनकल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकता है ।
48. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा ।
49. सस्ते दरों पर लोगों को सखी तथा कूल उपलब्ध कराता ।
50. दोपहिया, चार पहिया एवं हेवी वाहन की एजेंसी लेना, अपनी एजेंसी के माध्यम से सस्ते दरों पर वाहन उपलब्ध कराना, जिससे कम लागत पर अधिक से अधिक लोगों को वाहन उपलब्ध कराया जा सके।

रीता पाट्टक



क्रमांक- 2563 का/प्र. 201- 10.5 (2555)

दिनांक 01.09.18
श्री. शिव शंकर (स्वामी विवेकानंद)
पिन-100, इलाहाबाद-मथुरा, म.प्र.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337549

51. विभिन्न संस्थाओं / विद्यालयों / महाविद्यालयों / मेडिकल कॉलेज / इंजीनियरिंग कॉलेजों के विशेषाधिकार प्राप्त करना तथा अपने विशेषाधिकार के अनुसार उसे संचालित करना।

2. प्रारम्भिक उपबन्ध—

1. वर्तमान में ट्रस्टडीड के पंजीकृत के विनांक से श्रीमती रीता यादव पत्नी श्री सुबाल सिंह यादव को इस ट्रस्ट का ट्रस्टी (अध्यक्ष) नियुक्त किया जाता है।
2. वर्तमान ट्रस्टी(अध्यक्ष) श्रीमती रीता यादव पत्नी श्री सुबाल सिंह यादव द्वारा रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय, तो उस स्थिति व परिस्थिति में इस ट्रस्ट के उत्तराधिकारी इनके पुत्र श्री अक्कीश कुमार यादव ट्रस्ट के ट्रस्टी(अध्यक्ष) होंगे।
3. वर्तमान ट्रस्टी (अध्यक्ष) अपने जीवन काल में ही जब चाहे इस ट्रस्ट का ट्रस्टी(अध्यक्ष) अपने पुत्र श्री अक्कीश कुमार यादव को स्थानान्तरित कर सकती है।
4. भविष्य में इस ट्रस्ट के ट्रस्टी (अध्यक्ष) अपने पुत्र या पुत्री को ही रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित इस ट्रस्ट के ट्रस्टी (अध्यक्ष) बना सकते हैं। अथवा इनके पुत्र या पुत्री न होने पर सुयोग्य सदस्यों को इस ट्रस्ट के ट्रस्टी (अध्यक्ष) बना सकते हैं।

रीता यादव 

क्रमांक 2564 कागद 201-रत.नं. 2855

५.०१.१८
श्री. प्रदीप राव (रिवाज विद्वान्)
ल.प.नं. 100, कर्णीक-सरा, पंजा

उत्तर-
R-1 का
1.0 APR 2018





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337550

3. मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी / स्थानान्तरण:-

1. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) का उत्तराधिकारी उनके पुत्र श्री अवनीश कुमार यादव होंगे ।
2. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) का पद अपने पुत्र अवनीश कुमार यादव को प्रदान कर सकती है ।
3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस ट्रस्टी डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) को प्रदत्त किये गये थे ।
4. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा ।
5. वर्तमान ट्रस्टी (अध्यक्ष) की आकरिगक की स्थिति में उनके पुत्र श्री अवनीश कुमार यादव की इच्छा / व्यवस्था अन्तिम रूप से इस ट्रस्ट के ट्रस्टी (अध्यक्ष) के रूप में मान्य होंगे ।

रिता यादव



क्रमांक 2565 बीएच 20/10/18 (2555)

10/10/18
राज्य शांति सच (स्वायं विक्रय)
ना. 100/100 वा. 100/100





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337551

4. बोर्ड आफ ट्रस्टीज:-

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) यदि उचित समझे तो विधियों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि न्यूनतम 03 सदस्य व अधिकतम 21 सदस्य होंगे ।

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी व्यक्ति को सदस्य मनोनित करते समय उसका कार्यकाल निश्चित करेगा । सदस्य की कार्यवधि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) की इच्छा पर निर्भर करेगा तथा मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये सदस्य के पद से हटा सकते हैं ।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकते हैं जिसकी अध्यक्ष ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं करेंगे ।
3. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विधियों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) की इच्छा एवं विवेक

रीता पांडव



क्रमांक 2566 अथवा 201-स.नं. 2555-

11/11/2010 9.10
राज्य शांति चय (स्टाफ चिह्नित)
साधना-100, पञ्चमाल-सदर, मऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337552

पर निर्भर करता है इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

6. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) का कार्यकाल एवं सुविधाएं—

1. यह कि ट्रस्टी (अध्यक्ष) को विभिन्न सुविधाओं से युक्त ट्रस्ट के कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) का निर्णय ही अन्तिम रूप में मान्य होगा ।
2. यह कि ट्रस्टी (अध्यक्ष) अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानवेय / भत्ते आदि प्राप्त पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी (अध्यक्ष) ट्रस्ट के द्वारा की गयी आय से ही आयकर का भुगतान करेगा ।

8. कार्यक्षेत्र—

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।

रीता पांडव



क्रमांक 2567 कोमा 201- 2555

सचिव (सहायक सचिव (सहायक विभाग))
आ.नं-100, सहायक-सचिव, एक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337553

7. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) का विशेषाधिकारी:-

मैनेजिंग ट्रस्टी(अध्यक्ष) को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/ स्वीकृत/ अस्वीकृत/ संशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप में मान्य एवं स्वीकार होगा।

8. उपाध्यक्ष की नियुक्ति:-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्टी (अध्यक्ष) को आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकता।
2. यह कि उपाध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के अनुरोध तक ही कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधि/ अनुशासनात्मक/ प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित / प्रदान कर सकता है।

रीता पांडव



क्रमांक 2568 का/नर 20/- अत. नं. 2555

Handwritten signature and date: 01-09-18
राज्य शासक (न्याय विभाग)
खाता-100, लखनऊ-महानगर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


37AA 337554

1 यह कि उक्त उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, सुविधाएं मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

2 सचिव की नियुक्ति :-

- 1 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकता है।
- 2 यह कि उक्त सचिव के वेतन, भत्ते, सुविधाएं मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
- 3 यह कि सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) के अनुग्रह तक ही कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध / प्रशासनिक विधि/ अनुशासनत्मक / प्रशानात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हरतान्तरित प्रदान कर सकता है।

रीता पाटव



क्र.सं. 2569 का.सं. 20-सं. 2555

Handwritten signature and date: 01/09/18
रजि. नं. 100, वडमल-नगर, 55



भारतीय नैर न्यायिक

बीस रुपये
रु.20



Rs.20
TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337555

10. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:-

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी (अध्यक्ष) को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी (अध्यक्ष) के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना ।
2. इस ट्रस्ट डीड में उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन / परिवर्तन कर सकता है जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा ।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी(अध्यक्ष) के अनुपस्थिति में सारे कार्य की देखरेख उपाध्यक्ष करेगा । आफिस विस्तार के लिए ट्रस्टी (अध्यक्ष) और भी सभिय और उपसभिय नियुक्त कर सकता है।

11. बैंक एकाउण्ट:-

1. ट्रस्ट का खाता किसी की बैंक में ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं द्वारा खोला एवं संचालित किया जा सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान केन्द्र / कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। उपरोक्त स्थिति में ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं द्वारा खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

12. विधिक कार्यवाही:-

यदि संस्था ट्रस्ट के तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सभिय अध्यक्ष के अनुमति से अधिवक्ता को नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में प्रेषण के लिए किसी को अधिकृत कर सकता है।

रीता पादव



क्रमांक 2570 श्रीमती रीता - शा. नं. 2555

नामापन

प्रतिफल: 13000 रु. नाम: रीता पाटव, पति: सुरेश मंगल पाटव, पता: 100, कारंजा-सह्याय, को. 403, मुम्बई-400 010

रिजिस्ट्रार जनरल
सह्याय-100, कारंजा-सह्याय

श्रीमती रीता पाटव,
पती श्री सुरेश मंगल पाटव
अवस्था: गृहिणी
निवासी: 100, कारंजा सह्याय पो. सह्याय, को. 403, मुम्बई-400 010

रीता पाटव



हे वरिष्ठ अधिकारी, इस कार्यालय में दिनांक 11/09/2018 रत. 02:11:20 PM को
निवेशन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रार जनरल (अधिकारी के हस्ताक्षर)

सुन्दरान (प्रभागी)
रजि. निबंधक - सहाय
महान
01/09/2018

रजि. प्रभागी (निबंधक) - निशचित





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337556

13. सम्पत्ति सम्बन्धी:-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक / व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने / लेख विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं कर सकता है।
3. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) किसी से ऋण, दान, उपहार, अनुग्रह नोट, सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त स्वयं कर सकता है।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) ट्रस्ट के धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी भी बैंक संस्था, कंपनी आदि की किसी योजना के धन / सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
5. ट्रस्ट के चल एवं अचल सम्पत्तियों के क्रय विक्रय के दौरान ट्रस्टी (अध्यक्ष) स्वयं निर्णय ले सकता है।
6. वर्तमान में ट्रस्ट की ₹15000/- (₹15 हजार) की पूंजी से स्थापना हुई है जिस पर नियमानुसार मु0 600/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है। उक्त पूंजी के अलावा अन्य कोई सम्पत्ति ट्रस्ट के पास नहीं है।

14. विशेष: मैनेजिंग ट्रस्टी (अध्यक्ष) कोई भी निर्णय स्वयं ले सकते है जो कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज को सर्वमान्य होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मसमर्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है। उक्त न्यारा विलेख को पढ़कर एवं समझकर निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

रीता पादव



क्रमांक 2571 कागद 20/- अ.नं. (2555)


निम्नोक्त संख्यात बांध सुनने व समकालीन गणमुन व प्राप्ताधनराशि व प्रत्येकानुसार उक्त न्यायी।

श्रीमती शीता माहव
निवासी: काठ मण्डला देसाय्या पोरा मण्डलाप १३३ नं. ३३
सदर अणवत गा.क. पोलीस- 100, तालुका-सिंदूर, जिल्हा-सांगली




अपत्याग: गुटिणी
रीता माहव
ने निम्नोक्त स्वीकार किया। विनाकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री रामकान्त, पुत्र श्री विठ्ठल
निवासी: 308 खानपुर 301 मण्डलाप 308 विना गा.क.
अपत्याग: कवि
पहचानकर्ता: 2
रमेश कान्त



श्री रामराम पात, पुत्र श्री महादुर पात
निवासी: साठ गा.क. पो. 00 वीनेला साठ अंधनिवाचनगा
गा.क.पूर
अपत्याग: गुण
पहचानकर्ता: 3
रामराम पात



ने की। प्रत्येकानुसार साक्षी के विधान अंगुठे
विनाकानुसार किया गए हैं।
दिप्पणी

संविदीकरण अधिनारी के गारतकर
रामराम पात
उप निबंधक : साधर
मक
रामराम प्रसाद विभाग 2
सांगली संस्थापक (निबंध-1) - विद्यपित



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 337557


उक्त ट्रस्ट भारतीय अधिनियम के तहत मान्य है।

संक्षीपण

1. नाम

पिता का नाम-

पता



रामचरण

2. नाम-

पिता का नाम-

पता



रामचरण

दिनांक-

1 अक्टूबर 2018

मसविदाकर्ता-

रुद्रल यादव व. क. अड

टाईपकर्ता-

रामचरण यादव

रीता यादव



रामचरण यादव पुत्रा विवाह
ग्राम खानपुरा. मुहम्मद
जिला अफ्गनाबाद
8004714912



रामचरण यादव श्री. बहादुर यादव
ग्राम खानपुरा. खैरत जिला गाधीपुर
गांधीपुरा - अफगनाबाद - गाधीपुर
8005484216

क्र. 2532 का मत 20- अमा. 5 (2555)
जिले संख्या 62 के पृष्ठ 341 से 376 तक क्रमांक
104 पर दिनांक 01/09/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

4 01.09.18
रजिस्ट्रार एवं (उप) विजिला
सदर - 105, नारायण-पारा, जे.प.

रजिस्ट्रार-जे.प.
TR-1 जे.
1. AYS 2018

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(नन्दलाल ठाकरी)
उप निबंधक : सदर
मक
01/09/2018

